संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र./प्रचार-प्रसार/26/2020-21/3822 भोपाल, दिनांक : 8/02/2022

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड(मण्डी)
भोपाल।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 12-2-2022 को बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की सिंगल क्लिक के माध्यम से दावा राशि का वितरण कार्यक्रम बाबत ।

संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर बैतूल का पत्र क्रं/981/2.2.22

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 12.02.2022 को बैतूल जिले से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 फसल बीमा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से दावा राशि वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के परिवहन एवं भोजन की व्यवस्था पर राशि रूपये 65 लाख के आवंटन की मांग की गई है एवं शेष प्रत्येक जिले में गरिमा पूर्वक आयोजन किये जाने हेतु 51 जिलों को प्रत्येक को एक-एक लाख रूपये की राशि रूपये 51 लाख (राशि रूपये 65+51 लाख) इस प्रकार कुल राशि रूपये 116 लाख दी जानी है।

उपरोक्त हेतु शासन द्वारा नोटशीट क्रमांक 3807 दिनांक 07.02.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। कृपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 फसल बीमा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से दावा राशि वितरण कार्यक्रम आयोजन हेतु मंडी सचिव बैतूल को राशि रूपये 65 लाख तथा शेष जिलों के प्रत्येक मंडी सचिवों को राशि रूपये 1 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 116 लाख जारी करने का अनुरोध है तथा प्रदेश के समस्त जिलो के मंडी सचिवों को अपने स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करना चाहेंगे ।

संलग्न:- संदर्भित पत्र

<u>(संचालक द्वारा निर्देशित)</u>

अपर संचालक (फ.बी.) 8/2
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र./प्रचार-प्रसार/26/2020-21/3823 भोपाल, दिनांक : 8/02/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री म०प्र० शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला बैतूल मध्यप्रदेश।
4. निज सचिव, माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म०प्र० शासन।
5. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग .... समस्त मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला समस्त को निर्देशित किया जाता है कि जिलों के मंडी सचिव से समन्वय कर कार्यक्रम आयोजित करे ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल म0प्र0 ।

अपर संचालक (फ.बी.) 8/2
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल